



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 959255

समक्ष :- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० लखनऊ।

प्रारूप 'अ'

हम सुनन्दा शुक्ला (अध्यक्ष) एवं अभिषेक शुक्ला (सचिव) सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता सीता देवी शिक्षा समिति ग्राम खोर एतमादपुर पोस्ट मेलारायगंज तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी (उ०प्र०) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-


1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सीता देवी महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मैसी अमरा कटेहरा लिंक मार्ग, सिरौली गौसपुर बाराबंकी नामक डिप्लोमा इन फॉर्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम अमरा कटेहरा लिंक मार्ग सिरौली गौसपुर बाराबंकी से, गाटा संख्या 545 एवं रकबा कमशः 2.5 एकड़ एवं 1.012 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.038 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/संस्था के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 545 रकबा कमशः 2.5 (Acro) हेक्टेयर (कुल रकबा 1.012 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फॉर्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13.08.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फॉर्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फॉर्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फॉर्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फॉर्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फॉर्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फॉर्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रात्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शारान/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हो सचिव 


हो अध्यक्ष

04:20pm
4:20 PM
31/9/2023
31/9/2023
21/9/23

Identify the department
which has signed this
21/9/2023